जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

C.C. Act. (Externment)Case No.-01/2024-25

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा **बनाम** करण मंडल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
26.4.2024	पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक–143/डी0सी0बी0, दिनांक–30.03.2024 द्वारा करमाटाँड़ क्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं आम लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से कुख्यात अपराधी करण मंडल, पिता–बासुदेव मंडल, साकिम–देवलबाड़ी, थाना–करमाटाँड़, जिला–जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3(3)a के तहत् जिला बदर की कारवाई करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया और पाया कि इस अपराधकर्मी के विरुद्ध वर्तमान में 1. साईबर थाना काण्ड संख्या–60/2018, दिनांक–14.12.2018 धारा–414/419/420/467/468/ 471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, 2. साईबर थाना काण्ड संख्या–21/2019, दिनांक–09.07.2021 धारा–414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट के अंतर्गत दो मामले दर्ज है और साथ ही, 3. करमाटाँड़ थाना दैनिकी सनहा संख्या–25/2024, दिनांक–20.03.2024 जिसमें अंकित है कि आमजन अपने में चर्चा कर रहे थे कि करण मंडल न्यायिक हिरासत से बाहर है, अभी साईबर अपराध में सक्रिय है, इनके द्वारा धनबल पर लोगों को पैसे का धौंस दिखाया जाता है। इनकी गतिविधि पर निगरानी रखने की आवश्यकता अंकित किया गया है एवं 4. करमाटाँड़ थाना दैनिकी सनहा संख्या–33/2024, दिनांक–21.03.2024 में उल्लेखनीय है कि अभियुक्त करण मंडल न्यायिक जमानत पर मुक्त है, साईबर अपराध में सक्रिय है, अपने साथ नये–नये लड़कों को पैसा का लालच दिखाकर साईबर अपराध एवं आगामी लोकसभा चुनाव–2024 में उपद्रव मचाने की योजना बना रहे हैं इसका कारण यह है कि ये साइबर अपराध से काफी धन अर्जित कर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। अपराधकर्मी करण मंडल, पिता–बासुदेव मंडल के संबंध में सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा के पत्रांक–175/अभि0, दिनांक–09.04.2024 द्वारा प्राप्त मंतव्य में अंकित है कि कथित अपराधकर्मी के विरूद्ध धारा–414/419/420 भा0द0वि0 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत कई मामले दर्ज हैं और चुँकि उक्त मामले धारा 3 खण्ड (a) तथा खण्ड (b) के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आते है तथा भा0द0स0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित है, अतः श्रीमान् उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा CCA वाद दर्ज कर पारा 2 के अंकित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अधिकतम 06 माह की अवधि तक का जिला बदर करने का आदेश दिया जा सकता है। तत्पश्चात् उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)(a)(b)(i)(ii) के अंतर्गत अपराधकर्मी करण मंडल को लिखित सूचना निर्गत कर कारणपृच्छा मांगा गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। अपराधकर्मी करण मण्डल अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये, उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि करण मण्डल के विरूद्ध वर्तमान कार्यवाही कानूनी रूप से जारी रखने योग्य नहीं है एवं कुछ बाहरी तथ्य के आधार पर वाद दर्ज किया गया है। अपराधकर्मी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3 के तहत्, "यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि जिले या उसके किसी भाग में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो जो भा0द0स0 के	

अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत् दण्डनीय अपराध या महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम-1956 से संबंधित अपराध में या इन अपराधों का दुष्प्रेरण में शामिल हो''- संबन्धित कोई मामला नहीं बनता है। साथ ही उनका कथन है कि अभियुक्त किसी पार्टी या गिरोह का सदस्य या नेता नहीं है एवं न ही किसी राजनैतिक दल का सदस्य या समर्थक है। अभियुक्त के विरूद्ध साईबर थाना में दर्ज काण्ड सं0-60/2018 एवं 21/2019 से संबंधित वाद न्यायालय में लम्बित है, और न्यायालय द्वारा उसे अब तक किसी मामले में दोषी नहीं पाया गया है। उक्त दोनों वादों में कोई रकम जप्त/प्राप्त नहीं हुआ है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत दो मामले क्रमश: ***जसवीर सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य:2017(2) AJR 656 निर्णय तिथि 16.02.2017*** एवं ***निशांत सिंह उर्फ कुमार निशांत बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य निर्णय तिथि 08.11.2023*** का उद्धहरण प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने हेतु अधिनियम की धारा 2(d) की शर्ते पूरी होनी चाहिए तथा साथ ही अभियुक्त का आदतन अपराधी होना आवश्यक है । इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अस्पष्ट आरोप के आधार पर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)a के तहत् अभियोजन नहीं किये जानेका अनुरोध किया गया।

पक्षकार राज्य सरकार (द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा) की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुये, उनको सुना। उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के पत्रांक-143/डी0सी0बी0, दिनांक-30.03.2024 द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि करण मंडल, पिता-बासुदेव मंडल सा0-देवलबाड़ी, थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा एक साईबर अपराधी है, वह पूर्व में साईबर अपराध के लिए जेल जा चुका है। वर्तमान में जमानत पर न्यायिक हिरासत से मुक्त है। जमानत होने के बाद से उसके विरूद्ध आसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ है कि वह पुनः साईबर अपराध में संलिप्त है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान उसके द्वारा किसी राजनैतिक दल से मिलकर पैसों का उपयोग कर देवलबाड़ी ग्राम एवं उसके आसपास के बुथों पर चुनाव को प्रभावित करने की संभावना, लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर उनके विरूद्ध द0प्र0स0 धारा-107 एवं 110 के तहत् निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उसके विरूद्ध जामताड़ा जिला अतंर्गत आपराधिक इतिहास के रूप में काण्ड एवं सनहा दर्ज है, जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :-

1. साईबर थाना काण्ड संख्या-60/2018, दिनांक-14.12.2018 धारा-414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट। उक्त काण्ड में उसके विरूद्ध फर्जी अधिकारी बनकर मोबाईल के माध्यम से ठगी एवं जालसाजी कर साईबर अपराध करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। काण्ड के अनुसंधान वादी एवं गवाहों के बयान घटनास्थल का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस काण्ड के अभियुक्त के विरूद्ध सत्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या-15/2019, दिनांक-28.02.2019 समर्पित किया गया।
2. साईबर थाना काण्ड संख्या-21/2019, दिनांक-09.07.2021 धारा-414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट। उक्त काण्ड में उनके विरूद्ध फर्जी अधिकारी बनकर मोबाईल के माध्यम से ठगी एवं जालसाजी कर साईबर अपराध करने के आरोप में दर्ज किया गया। यह काण्ड अनुसंधान प्राथमिकी जप्ती सूची, पर्यवेक्षण में काण्ड सत्य पाया गया। काण्ड में बरामद कई मोबाईल सीम फर्जी नाम पता से धारित पाये गये। बरामद फर्जी सिमों से अनेक फर्जी E-Walletभी सृजित पाये गये एवं E-Wallet से Transaction के भी प्रमाण पाये गये। अभियुक्त के विरूद्ध काण्ड सत्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या-41/2019, दिनांक-23.09.2019 समर्पित किया गया।
3. करमाटाँड़ थाना दैनिकी सनहा संख्या-25/2024, दिनांक-20.03.2024 जिसमें अंकित है कि आमजन में चर्चा था कि करण मंडल न्यायिक हिरासत से बाहर है, अभी साईबर अपराध में सक्रिय

है, धनबल पर लोगों को पैसे का धौंस दिखाया जाता है। इनकी गति विधि पर निगरानी रखने की आवश्यकता अंकित किया गया।

4. करमाटाँड़ थाना दैनिकी सनहा संख्या-33/2024, दिनांक-21.03.2024 में उल्लेखनीय है कि अभियुक्त करण मंडल न्यायिक जमानत पर मुक्त है, साईबर अपराध में सक्रिय है, अपने साथ नये-नये लड़का को पैसा का लालच दिखाकर साईबर अपराध एवं आगामी लोकसभा चुनाव-2024 में उपद्रव मचाने की योजना बनाया जाता है।

पुनः विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओर से कहा गया कि तथाकथित अपराधकर्मी के विरुद्ध एक ही तरह के अपराध करने संबन्धित पूर्ववृत्त इतिहास है और अपराधकर्मी के विरुद्ध पुनः साइबर गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना मिल रही है जिस कारण से अभियुक्त के विरुद्ध दो सन्हा भी दर्ज किया जा चुका है। उनका यह भी कथन है कि जामताड़ा जिले के अंदर साइबर अपराध संबन्धित मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अपराधियों द्वारा अर्जित इस धन का उपयोग चुनाव प्रक्रिया बाधित किए जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक कहना है कि चूंकि अभियुक्त के विरुद्ध बार-बार साइबर अपराध में संलिप्त होने का साक्ष्य मौजूद है एवं साथ ही उसके विरुद्ध धारा-414/419/420 भा0द0वि0 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज हैं जो भा0द0स0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित अपराध है अतः अपराधकर्मी करण मण्डल झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा 2(d) के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आते हैं एवं एक ही तरह के अपराध में संलिप्त होने के कारण आदतन अपराधी भी है अतः इस प्रकार उसके द्वारा थाना करमाटाँड़ में साईबर अपराध किये जाने एवं आगामी लोक सभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने की संभावना, करमाटाँड़ थाना क्षेत्र में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)a के अंतर्गत छः माह की अवधि या जामताड़ा जिला में लोकसभा आम निर्चाचन-2024 के परिणाम अवधि तक अपराधकर्मी करण मंडल को जिला बदर करने का अनुरोध विद्वान सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा किया गया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत दो मामले क्रमशः ***गोडबिन खान उर्फ गोडविन खान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य: निर्णय तिथि 17.07.2017*** एवं ***अमर नाथ सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य: निर्णय तिथि 26.10.2021*** का उद्धहरण प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि संबन्धित अपराधकर्मी करण मण्डल अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने हेतु, अधिनियम की धारा 2(d) की शर्ते पूरी करता है तथा साथ ही अभियुक्त आदतन अपराधी भी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-143/डी0सी0बी0, दिनांक-30.03.2024 एवं उसमें संलग्न कागजातो एवं सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा समर्पित मंतव्य एवं अन्य कागजातो का अवलोकन किया गया। साथ ही करण मंडल के अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया कारणपृच्छा -सह- लिखित बहस का अवलोकन किया गया। अपराधकर्मी करण मण्डल द्वारा प्रस्तुत करणपृच्छा में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारने के लिए आधारहीन एवं अप्रासंगिक तथ्यों का समावेशन किया गया है तथा साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर भी असंतोषप्रद है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्यों से पता चलता है कि इस अपराधकर्मी के विरुद्ध साइबर अपराध संबन्धित दो मामले काण्ड सं0-60/2018 एवं 21/2019 दर्ज है एवं क्षेत्र में पुनः साइबर अपराध में सक्रिय रहने की आसूचना भी प्राप्त हुई है जिसके आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा इस आशय का सन्हा संख्या 25/24 एवं 33/24 भी दर्ज किया गया है। चूंकि अराधकर्मी करण मण्डल द्वारा भा0द0स0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित धारा-414/419/420 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत बार-बार अपराध किया गया है अतः वह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा 2(d) के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आता है साथ ही एक ही तरह के अपराध में संलिप्त होने के कारण आदतन अपराधी भी है। अतः अपराधकर्मी की गतिविधियों से आगामी

लोक सभा चुनाव 2024 के प्रभावित होने एवं लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव एवं अनुशंसा, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत बहस एवं सब प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में, अंतर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरांत संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझती हूँ कि अपराधकर्मी करण मंडल, पिता–बासुदेव मंडल, ग्राम–देबलबाड़ी, थाना–करमाटाँड़, जिला–जामताड़ा को आसन्न लोक सभा चुनाव 2024 को देखते हुये और जिले में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस जिले से निष्कासन किया जाना आवश्यक है।

अतः अपराधकर्मी करण मंडल द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने की संभावना एवं करमाटाँड़ थाना क्षेत्र में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टिकोण से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3(3)a के अंतर्गत जामताड़ा जिला में लोकसभा आम चुनाव–2024 के परिणाम अवधि अर्थात दिनांक–30.04.2024 से 30.06.2024 तक अपराधकर्मी करण मंडल को जिला बदर करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–7(1)bके तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 25000/– (पच्चीस हजार) का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक–30.04.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक–30.06.2024 से पहले जामताड़ा जिला में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर अपराधकर्मी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–7(2)bके तहत कार्रवाई की जायेगी। अपराधकर्मी करण मंडल झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति करण मंडल एवं पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.06.03 11:24:29 +05:30
Location: 192.168.43.106